मध्यप्रदेश शासन

मुख्य सचिव कार्यालय

क्र. 170 /मु.स./2015 **भोपाल, दिनांक 06 मई, 2015**

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर (म0प्र0)

क्रमांक 205
दिनांक 8-5-015

दिनांक 9 मई, 2015 को मा. मुख्य मंत्रीजी, भारत सरकार की तीन नवीन योजनाओं का शुभारंभ प्रदेश में करने जा रहे हैं:–

(1) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(2) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(3) अटल पेंशन योजना

जहां अटल पेंशन योजना मुख्य तौर पर असंगठित श्रमिकों एवं समाज के ऐसे तबके के लोगों के लिए तैयार की गई है जो किसी भी अन्य माध्यम से पेंशन के लिए पात्र नहीं है, वहीं उपरोक्त प्रथम दो योजनायें (प्र.मं. सुरक्षा बीमा योजना एवं प्र.मं.जीवन ज्योति बीमा योजना) हरेक व्यक्ति के लिए लाभदायक है। इन दो योजनाओं में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है, और चाहे व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो या गरीबी रेखा से नीचे हो, चाहे शासकीय सेवक हो या ग्रामीण श्रमिक, या फिर उद्योगपति, या गृहणी, हरेक व्यक्ति इसके लिए पात्र है। इसमें मात्र आयु की सीमा है। प्र.मं. सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र हैं तथा प्र.मं. जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र हैं। एक शर्त यह है कि हितग्राही के स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।

योजनाओं में शामिल होने हेतु मात्र फार्म भरना है जिसे भरने में 3 मिनट से अधिक का समय नहीं लगता है। ये फार्म प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में उपलब्ध है। प्र.मं. सुरक्षा बीमा योजना हेतु वार्षिक प्रीमियम मात्र रू. 12/– है, जिससे दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता हेतु रू. 2 लाख तक का बीमा दिया जावेगा, और प्र.मं. सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम मात्र रू. 330/– है जिससे किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को रू. 2 लाख का बीमा दिया जावेगा।

केन्द्र तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं में शामिल कराने हेतु अभियान चलाया जाएगा। लेकिन यह उचित होगा कि प्रत्येक शासकीय सेवक स्वयं तथा अपने परिजनों को इन योजनाओं में तत्काल शामिल करें जिससे यह दूसरों के लिए उदाहरण एवं प्रेरणास्त्रोत बने।

हालांकि योजनाओं का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 9 मई, 2015 को होने जा रहा है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्री–लांच अभियान प्रारंभ किया गया है। वल्लभ भवन, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवनों में भी स्टेट बैंक की शाखा दिनांक 8 मई, 2015 को केम्प लगाएगी। सभी विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों को अपने परिजनों के हित में इन योजनाओं में शामिल होने को प्रेरित करें तथा अभियान की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं बैंक की शाखा में जाएं अथवा बैंक प्रतिनिधियों द्वारा कार्यालयों में इस कार्य हेतु की जा रही कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें।

6/5/15

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल
2. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन, भोपाल
3. फील्ड महाप्रबंधक/समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9 अरेरा हिल्स, भोपाल